

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 76/2021

दायर दिनांक: 05/04/2021

उनवान

1. सुरजमल आयु 46 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
2. सीताराम आयु 38 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
3. बनवारीलाल आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
4. बादाम बाई आयु 40 वर्ष पुत्री मोहनलाल ।
5. प्रेम बाई आयु 35 वर्ष पुत्री मोहनलाल जातियान धाकड़ निवासीगण काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी काचरी तह० अटरू जिला बारां राज० ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर ।

निर्णय

दिनांक : 16.12.2024

वकीय मय वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 514 का ख० न० 889 का रकबा 1.58 है० की कुल कित्ता 1 का रकबा 1.58 है० प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है व वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 का ख० न० 486 का रकबा 0.53 है० ख० न० 487 का रकबा 0.51 है० ख० न० 488 का रकबा 0.44 है० ख० न० 851 का रकबा 0.64 है० की कुल कित्ता 4 का रकबा 2.12 है० मे प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी शामिलती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है व वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 का ख० न० 465 का रकबा 1.08 है० ख० न० 466 का रकबा 1.00 है० की कुल कित्ता 2 का रकबा 2.08 है० में प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी शामिलती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है व वाके ग्राम एवं माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 का ख० न० 171 का रकबा 0.17 है० ख० न० 177 का रकबा 0.02 है० ख० न० 182 का रकबा 0.09 है० ख० न० 183 का रकबा 0.07 60 ख० न० 284 का रकबा 2.49 है० की कुल कित्ता 5 का रकबा 2.84 है० मे प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी शामिलती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है।

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद० 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी रामनारायण के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता रामनारायण से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा वाके ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० में हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है व वाके ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० मे हिस्सा 1/18, 1/18 बनता है व वाके ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० में हिस्सा 1/18, 1/18 बनता है व वाके ग्राम एंव माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० मे हिस्सा 1/18, 1/18 बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न० 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 01.02.2021 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै० सी० सी० नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद० न० 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एंव गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 26.02.2021 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल आटोन व काचरी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक

उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० हिस्सा 1/6, 1/6 का व वाके ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० हिस्सा 1/18, 1/18 का व वाके ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० हिस्सा 1/18, 1/18 का व वाके ग्राम एवं माल काचरी तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० हिस्सा 1/18, 1/18 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० व खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० व खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० तथा ग्राम व माल काचरी की खात संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विवाद चला आ रहा है जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक सम्पति है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एवं माल काचरी तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० आराजी का हिस्सा 1/18, 1/18 को वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरु जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० हिस्सा 1/6, 1/6 का व वाके ग्राम एव माल

आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० हिस्सा 1/18, 1/18 का व वाके ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० हिस्सा 1/18, 1/18 का व वाके ग्राम एंव माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० हिस्सा 1/18, 1/18 को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। वादीगण की माता/प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी श्रीमती चमेली बाई द्वारा भी पेश राजीनामा में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड० द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भीमराज नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा० फा० किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है०, ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है०, ग्राम एंव माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। जो पेटुक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र-पुत्री है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल किता 1 का रकबा 1.58 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल किता 4 का रकबा 2.12 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल किता 2 का रकबा 2.08 है० आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एंव माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल किता 5 का रकबा 2.84 है० आराजी का हिस्सा 1/18, 1/18 में वादी क्रम 1 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै०मु० छतरी, गै०मु० रास्ता, गै०मु० खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू खाते में संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का

रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 76/2021

उनवान

1. सुरजमल आयु 46 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
2. सीताराम आयु 38 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
3. बनवारीलाल आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल ।
4. बादाम बाई आयु 40 वर्ष पुत्री मोहनलाल ।
5. प्रेम बाई आयु 35 वर्ष पुत्री मोहनलाल जातियान धाकड़ निवासीगण काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर ।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 514 की कुल कित्ता 1 का रकबा 1.58 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 270 की कुल कित्ता 4 का रकबा 2.12 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 774 की कुल कित्ता 2 का रकबा 2.08 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18, 1/18 व ग्राम एवं माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 41 की कुल कित्ता 5 का रकबा 2.84 है0 आराजी का हिस्सा 1/18, 1/18 में वादी क्रम 1 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू खाते में संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा ।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)